राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुखदेव बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | पैरोकार सरकार अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 12/05/2026 को पेश हो |	
12/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवाई गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | अत: पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/05/2026 को पेश हो |	
15/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2019 व 17/09/2020 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर भी अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/09/2019 व 17/09/2020 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	